एस डी ओ/ रीडर

3 7/1 आवेदक प्रत्यावर्ती केंद्रमान बिंदु में पंचहुआ प्रतिस्थापन का, एतद्वारा उपाबद्ध विवरण के अनुसार किया गया। रीमार्क के अनुसार कि प्रार्थी का प्रकरण पुराना होने की स्थिति में अ.नं.(5) में जारी प्रावधान दिनांक 4-4-2013 का परिपालन करते हुए प्रत्यावर्ती नवकरण का हकदार अनुसूचित दर्शित किया जाता है। नियमानुसार बिंदु में विचारार्थ प्रस्तुत।

Scanned by CamScanner